न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील एल.आर.संख्याः–27 / 2016(2016 / 00027)75 / दूदू

1. श्याम कंवर पुत्री स्व. मोती सिंह जाति राजपूत निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र माधो लाल जाति गुर्जर निवासी अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेण्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ),जयपुर के आदेश दिनांक 31.12.2015, प्रकरण संख्या 135 / 2014

उपस्थितः–

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान / एस.जे.गिरी एड़वोकेट रेस्पो.संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–07.03.2019

1. अपीलांट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 31.12.2015, प्रकरण संख्या 135 / 2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी,दूदू ने दिनांक 11.11.2010 को ग्राम अखैपुरा की आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 1.62 है0 व आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 1.02 है. कुल रकबा 2.64 है. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में आवंटन किये जाने के आदेश दिये। भू–आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय दिनांक 11.11.2010 के विरूद्ध प्रार्थी / अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)नियम 1970 न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (चतुर्थ), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो दिनांक 31.12.2015 को खारिज किया गया। अतिरिक्त कलक्टर, (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 31.12.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए, तत्पश्चात अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांट के पूर्वजो की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 40 व 41 को बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2010 दिनांक 11.11.2010 को शिविर अखैपुरा में कैलाशचन्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पुत्र माधोलाल जाति गुर्जर को अवैधानिक रूप से आवंटन कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कैलाश का या उसके पिता का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा था आरैर न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 आवंटन का पात्र था। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कैलाश चन्द भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नही आता हैं तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जो कि वर्तमान में भारतीय सेना में सैनिक के रूप में नौकरी पर कार्यरत हैं इसलिए विवादित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि मान्नीय राजस्व मण्डल राज., अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2006 की पालना में 149 बीघा 7 बिस्वा भूमि कब्जेराज ली जाने वाली भूमि कुल किता 42 कुल रकबा 149 बीघा 7 बिस्वा के दिये गये विकल्प में विवादग्रस्त आराजी भी अंकित है, यह तथ्य पूर्णतया कानूनी प्रावधानो के विपरीत है क्योंकि सीलिंग आदेश को प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के यहॉ पर चुनौती दे रखी हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.10.2006 के आदेश से सीलिंग सिवायचक रहने को आधार माना है तथा आवंटन आदेश को भी प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के यहॉ पर चुनौती दे रखी हैं इससे पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 31.12.2015, प्रकरण संख्या 135/2014 को निरस्त फरमाया जावें।

5. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील में बहस करते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी सीलिंग सिवायचक भूमि है जिसका सरकार ने नियमानुसार अधिग्रहण किया है। सीलिंग सरप्लस आराजी को नियमुानसार राजस्व अभियान के दौरान मजमेआम में आवंटन किया है। विवादग्रस्त आराजी के आवंटन की उद्घोषणा जारी की गई है। अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 भूमिहीन हैं। नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत पात्रता रखते हुए ही निर्धारित सीमा में आवंटन हुआ हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 11 (3) (छ) में सीमा सुरक्षा बल या सेना के व्यक्ति को आवंटन किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 के नियम 17 (3) (ग) में सीमा सुरक्षा बल व सशस्त्र बल के सदस्यों को आवंटन किये जाने का प्रावधान हैं। तहसीलदार, मौजमाबाद की रिपोर्ट दिनांक 08.09.2006 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि विकल्प प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बर जिनमें हाल आराजी खसरा नम्बर 40 व 41 के साबिक खसरा नम्बर 15 व 16 के साथ–साथ अन्य खसरा नम्बर 42 रकबा 149 बीघा 7 बिस्वा दोनो खातेदारों जगमालोत व मोती सिंह के नाम रिकार्ड में दर्ज थी एवं इन्ही का स्वामित्व था। यह आराजीयात सिवायचक होने से पूर्व किसी को भी विक्रय नहीं की गई। इस रकबे पर इन दोनो खातेदारो का ही कब्जा था तथा कब्जा राज इन्ही खातेदारों से लिया गया था। इस प्रकार यह आराजी तहसीलदार, मौजमाबाद की रिपोर्ट अनुसार भारमुक्त है एवं सिवायचक दर्ज है का अंकन है। सीलिंग सरप्लस आराजी के आवंटन पर किसी सक्षम न्यायालय की स्थगन आज्ञा नहीं है। प्रार्थीया/अपीलांट बदनियति पूर्वक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को हैरान व परेशान कर आवंटित कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में 2006–07(Supp)आर.आर.टी. पेज 122, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 797, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 834, 2006–07(Supp)आर.आर.टी. पेज 540 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि सिलिंग से अप्रभावित होते हुए भी गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सांभर के बाद में उपखण्ड अधिकारी, दूदू एवं उसके पश्चात राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर तथा तत्पश्चात राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मण्डल राजस्थान, अजमेर में चाराजोही की परन्तु असफल रहे। वर्तमान में तीनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन हैं। इस कारण अपीलार्थी की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि को आवंटन नियमों के विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन किया है, जो निरस्त योग्य है। जवाब में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि बरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज रही तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत सभी तथ्यों की जॉच कर नियमों के तहत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आवंटन की गई। अपीलार्थीगण के अपीलाधीन भूमि में अधिकार किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं माने गये तथा वर्तमान में मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलार्थी के विधिक अधिकारों का जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक विधिक तौर पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचाराणीय बिन्दु यह है कि वरवक्त आवंटन अपीलाधीन भूमि सही रूप से सिवायचक दर्ज रही है या नहीं ? इस सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचारधीन है जिसमें इस बिन्दु पर मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय होना है। इस स्थिति में क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में हुए आक्षेपित आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नहीं ?

उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर परीक्षण पर प्रश्नगत आवंटन विधिनुकूल पाया जाता है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किए जाने योग्य से निरस्तनीय है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2016 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर